

प्रेषक,

एच०पी० रिंह
विशेष समिति
३०५० शासन।

सेवा में,

• निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
३०५०, लखनऊ।
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : १८ अगस्त, 2015


विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4978/55ए/10/छ/विविध/मऊ-2012-13, दिनांक 03 मार्च, 2015 के रांगे में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 में जनपट-मऊ की न०पा०परि० मऊ की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य से राज्यविधित अलग-अलग कुल 04 परियोजनाओं हेतु कुल ₹० 78.59 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तर-6 में अंकित धनराशि ₹० 39.295 लाख (रुपये बत्तीस लाख उनतीस हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवर्धों के अधीन सहर्ष रवीकृति प्रदान करते हैं:

- उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13 14(31)/2012ठीरी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड-6 के अद्याय-12 के प्रत्यर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूड़ा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूड़ा से तकनीकी रवीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यवस्था की जायेगी एवं रवीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को गिर सके।

क्रमशः.....2




1c

17/8/15

4. उक्त धनराशि यथा समय राजबनिधि दूड़ा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित निर्माण इकाई द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला रजिस्ट्रेय शास्त्री निकाय से अनुमोदित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस काय/माद से स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यव प्रत्येक दशा में उसी काय/माद के लिया जायेगा। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। शामशी/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/इकायपर्फिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमात्र आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना को मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पर्यायवर्तन कार्यालयी संरथ/सम्बन्धित दूड़ा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समयसमय पर शासन द्वारा निर्माण शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि राजबनिधि निर्माण इकाई को अवगुक्त करने से पूर्व सूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2003 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के रचना को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लिया आंकोलेरा नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय राजबनिधि दूड़ा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई वो अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनानुसार स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य राजकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासन विष शान का दुर्घयोग न होने पाये, अथवा की दिशाते ही स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोप में जमा कराकर शासन को रूपीयत किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की दृष्टिरूपतापुनरावृत्ति न हो, यह दूड़ा/दूड़ा द्वारा सुनिश्चित किया जानेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निवेशक, राज्य नगरीय विकास अधिकारी, 3040, लखनऊ द्वारा राज्यप्रभाव संतुलित तथा विशेष राज्यव्यवस्था, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नति कार्यक्रम विभाग के प्राविधिक राज्यव्यवस्था किया जायेगा।
13. प्रतीक आहरण की रूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश को प्रति के साथ लेखाकार का नाम, बाऊपर संछया, तिथि तथा लेखाशीर्दक की सूचना एक तरफ के और तर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. सेवटेज चार्ज (अधिकाल व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या ए 2 23/दा 2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 से जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के क्रम में सुझाव देखा शोध गया किया जायेगा।

15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रणाली पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमात्र शासन को तापस करनी होगी।
16. उक्त योजनावर्तमान स्थीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी 31 मार्च, 2016 तक दयग हो सके।
2. उपर्युक्त दयग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखारीष-“2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गंटी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी शेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0रोड/इंटरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सूजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या 2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 तथा संग्रह-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-श्योकत्।

भारतीय,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-10/2015/816(1)/69-1-2015, तिदिनांक।

प्रतिलिपि नियन्त्रित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (वेसा एवं हकलारी), प्रथम, 30प्र०,20 रारोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय नियोगी लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, रिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नगूँजन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. जिलारिकारी/आवश्यक, जिला नगरीय विकास अभियान, मार्ग।
5. मुख्य कोशांधेकारी, जनाहर अवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र० शासन।
7. नियोजन अनुवाग-4, 30प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, 30प्र० शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब राइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट सम्बन्धक।


आज्ञा से,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या 78/2015/816/69-1-15 19(ग0व0-83)/2015, दिनांक 10 अगस्त, 2015 का अलगनक।
(प्रमाणित लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम 4	परियोजना की कुल जागत 5	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति योग्य प्रमाणि। 6
1	2	3			
1	मङ	न0गा0प0 मङ	वार्ड सं0-03 मो0 रामपुर चाकेया में रामधू के मकान से संतु गौरी के मकान तक कवड़ नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	21.47	10.735
2	तटेव	तटेव	वार्ड सं0-18 मो0 हकीकतपुरा में मुख्तार अहमद के मकान से केटार बनारसी के मकान तक कवड़ नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	22.66	11.33
3	तटेव	तटेव	वार्ड सं0-18 मो0 हकीकतपुरा में राम चौहान के मकान से रामकिशन के टग्योल तक कवड़ नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	23.47	11.735
4	तटेव	तटेव	वार्ड सं0-18 मो0 हकीकतपुरा में पुरानी भार0ली0ओ0 आफिस के सामने से गुसहर बस्ती कमला के मकान तक कवड़ नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.99	5.495
योग				78.59	39.295

(रुपये उनलिस लाख उनलीस हजार पाँच सौ भाव।)


(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।